भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – **938**
दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी

938. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी**:**
डॉ**.** गणपथी राजकुमार पी**.:**
श्री एन**.** के प्रेमचन्द्रन**:**
श्री तमिलसेल्वन थंगा**:**
श्री के**.**सी**.** वेणुगोपाल**:**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश भर में पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सामान्य और तत्काल पासपोर्ट के शुल्क में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एक सामान्य और तत्काल पासपोर्ट जारी करने में आने वाली लागत कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट जारी करने एवं संबंधित सेवाओं से एकत्र किए गए कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को किसी व्यक्ति या पर्यटक संघ से शुल्क कम करने/इसे वापस लेने पर विचार करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या सरकार विदेश मंत्रालय की इस सेवा को लाभ कमाने की प्रक्रिया मानती है और यदि हां, तो इस हालिया शुल्क वृद्धि के कारण सालाना अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व का अनुमानित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह**]**

(क) पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरे देश में कुशलतापूर्वक पासपोर्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, पासपोर्ट जारी करने के लिए लिया गया औसत समय (पुलिस सत्यापन को छोड़कर) 2023 में 11 दिन, 2024 में 11 दिन और 2025 में 13 दिन था। पूरे देश में पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कार्य निष्पादन का विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ख) से (च) पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची के तहत सभी पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 516(ई) दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से संशोधित किया गया है। संशोधित शुल्क वाली राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

पासपोर्ट जारी करने में व्यय के कई घटक शामिल हैं। प्रमुख प्रत्यक्ष लागत घटकों में: पासपोर्ट बुकलेट की लागत, पासपोर्ट बुकलेट में डाटा की छपाई, सेवा प्रदाता को भुगतान, पुलिस सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को भुगतान, डाक विभाग को भुगतान, कूरियर शुल्क, तकनीकी सहायता पर व्यय और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक कुंजी निर्देशिका के माध्यम से ई-पासपोर्ट के सत्यापन के लिए इसके संचालन और रखरखाव सहित ई-पासपोर्ट परियोजना की लागत शामिल हैं। इनके अलावा, मानव संसाधन, स्थापना और अवसंरचना से संबंधित कई अन्य व्यय संबंधी घटक हैं। इनमें पासपोर्ट अधिकारियों और अधिकारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान, कार्यालय परिसर, आईटी अवसंरचना संबंधी व्यय, अदालती मामलों आदि संबंधी व्यय शामिल है।

पासपोर्ट और संबंधित सेवाएँ प्रदान करने लागत, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और सेवा वितरण में सुधार की व्यापक समीक्षा के बाद समय-समय पर पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया जाता है। इससे पहले 1971, 1980, 1993, 2002, 2012 में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया था और अब 2026 में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया है। पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) संस्करण 2.0 और ई-पासपोर्ट का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे पासपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई है, साथ ही सेवा आपूर्ति की लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2012 में पिछले संशोधन के बाद से चौदह वर्षों में विभिन्न इनपुटों और सेवा आपूर्ति की लागत में वृद्धि ने पासपोर्ट शुल्क को संशोधित करना आवश्यक बना दिया।

पासपोर्ट सेवा प्रदान करना लाभ कमाने की प्रक्रिया नहीं है। वसूल किए गए सभी पासपोर्ट शुल्क भारत की संचित निधि में एकत्र किए जाते हैं।

अनुबंध- I

पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी
से संबंधित
लोकसभा अतारांकित संसदीय प्रश्न

'देश में पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कार्य निष्पादन' के संबंध में प्रश्न के भाग (क) का अनुबंध

वर्ष 2023, 2024 और 2025 के लिए पूरे देश में (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार) पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला औसत समय (पुलिस सत्यापन को छोड़कर) निम्नलिखित है। यह पासपोर्ट (पुलिस सत्यापन को छोड़कर) जारी करने में लगने वाला औसत समय है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पासपोर्ट जारी होने में लगने वाला औसत समय (पुलिस सत्यापन को छोड़कर)		
	2023 (दिनों की संख्या)	**2024** (दिनों की संख्या)	**2025** (दिनों की संख्या)
अंडमान और निकोबार	3	3	4
आंध्र प्रदेश	11	11	13
अरुणाचल प्रदेश	12	13	19
असम	11	11	18
बिहार	9	9	8
चंडीगढ़	11	14	13
छत्तीसगढ़	18	25	38
दादरा और नगर हवेली	12	21	23
दमन और दीव	27	23	20
दिल्ली	9	8	8
गोवा	2	2	3
गुजरात	18	13	11
हरियाणा	13	14	13
हिमाचल प्रदेश	7	6	8
जम्मू एवं कश्मीर	13	10	12
झारखंड	16	10	10
कर्नाटक	9	12	13

केरल	4	3	5
लद्दाख	32	27	15
लक्षद्वीप	4	5	11
मध्य प्रदेश	8	7	10
महाराष्ट्र	8	8	10
मणिपुर	7	7	11
मेघालय	10	10	14
मिजोरम	8	7	10
नागालैंड	14	12	19
ओडिशा	22	39	29
पुदुचेरी	5	5	6
पंजाब	10	11	12
राजस्थान	11	12	16
सिक्किम	4	4	8
तमिलनाडु	5	8	10
तेलंगाना	13	10	11
त्रिपुरा	7	14	19
उत्तर प्रदेश	16	16	14
उत्तराखंड	21	21	30
पश्चिम बंगाल	10	18	19

<u>अनुबंध- **II**</u>

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2026

जी.एस.आर.516 (ई). — पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 की15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची **IV**

(नियम 8 देखें)

पासपोर्ट आवेदनों और यात्रा दस्तावेज़ के संबंध में

देय शुल्क की अनुसूची

क्रम संख्या	आवेदन का विवरण	शुल्क का प्रकार

		सामान्य शुल्क		तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क के साथ)	
		भारत	विदेश	भारत	विदेश
		रु.	$	रु.	$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. पासपोर्ट- (क) आवेदक (18 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के आवेदक / 15 से 18 वर्ष की उम्र के नाबालिग, यदि इस श्रेणी के तहत आवेदन किया गया हो)					
1.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	2500	125	5000	250
2.	60 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	3500	175	6000	300
3.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	5000	250	7500	375
4.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 60 पृष्ठ होते हैं।	6000	300	8500	425
(ख**)** नाबालिग आवेदक **(18** वर्ष से कम आयु के**) :**					
5.	36 पृष्ठों वाले साधारण नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुन: जारी किए जाने के लिए	1750	90	4250	215

6.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	4250	215	6750	340
II. विशेष यात्रा दस्तावेज**----**					
7.	आपातकालीन प्रमाणपत्र	उपलब्ध नहीं	15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	पहचान प्रमाणपत्र	1000	50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
III. विविध सेवाएँ**--**					
9.	पासपोर्ट के आधार पर पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र, सरेंडर प्रमाणपत्र, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन या अन्य विविध प्रमाणपत्र जारी करना।	750	40	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी**:**

(1) " एन.ए." का अर्थ है "लागू नहीं"।

(2) क्रमांक 1(क) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और क्रमांक 1(ख) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष या आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

(3) 8 वर्ष तक की आयु के नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) के लिए नए आवेदनों (पुनः जारी करने के लिए नहीं) पर पासपोर्ट शुल्क में दस प्रतिशत की छूट होगी।

[सं. 401/01/20/2025]

(बी.एस. मुबारक)

संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट.— पासपोर्ट नियम, 1980 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 691(ई), दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 156 (ई), दिनांक 24 फरवरी, 2025 के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।
